141128

9876/06

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

261003

17 NOV 2006
A.T.O/T.O.
TRY.LKO

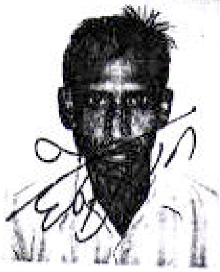

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रु0 2,64,202/-
बाजारू मूल्य	-	रु0 1,93,875/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प-		रु0 26,200/-

1.	भूमि का प्रकार	-	भूमि
2.	परगना	-	बिजनौर
3.	ग्राम	-	[illegible]पुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.077 हैक्टेयर, खसरा संख्या 85 रकबा 0.064 कुल विक्रीत रकबा 0.141 हे0 स्थित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 202977

			ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ ।
5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.141 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है ।

<u>संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 84 व 85</u>

उत्तर	: खसरा नं0-82
दक्षिण	: खसरा नं0-66

गोमतीप्रसाद पुनावासी

छोटेलाल

किशन जयचन्द

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 529784

7 NOV 2006

A.T.O.T.O. TRY.LKO.

पूरब : खसरा नं0-86

पश्चिम : खसरा नं0-82, 66

प्रथम पक्ष की संख्या- 3 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. गोमती प्रसाद 2. पूर्णमासी पुत्रगण छंगा 3. हनोमान पुत्र रामदास निवासीगण ग्राम हसनपुर खेवली, परगना तहसील व जिला लखनऊ।	:	जयचन्द पुत्र भोलाकोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

गोमती प्रसाद पुनमासी

हनोमान

नि0 जयचन्द

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 529785

0 NOV 2006
A.T.O.T.O.
TRY.LKO.

यह विक्रय विलेख 1. गोमती प्रसाद 2. पूर्णमासी पुत्रगण छंगा 3. हनोमान पुत्र रामदास निवासीगण ग्राम हसनपुर खेवली, परगना तहसील व जिला लखनऊ कहा गया हे एवम् जयचन्द पुत्र भोलाकोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.077 हेक्टेअर, खसरा संख्या 85 रकबा 0.064 कुल विक्रीत रकबा 0.141 हे0 स्थित ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज

गोमती प्रसाद पूर्नमासी हनोमान

निशान जयचन्द

है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00045 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **2,61,202/-** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा

भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता हे कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस

गोमती प्रकाश पुनावासी

देवी ज्ञानी

किरन जयचन्द

सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.141 हेक्टेअर की कुल मालियत 1,93,875/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **26,200/-** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंग मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

<u>परिशिष्टः भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेतागण को रू0 65,300/- द्वारा चेक संख्या- 137185 दिनांकित 21.11.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रू0 65,301/- द्वारा चेक संख्या- 137186

गोमती प्रसाद पुनवासी

ईश्वरदीन

जयचन्द

विक्रय पत्र

...2,00/	194,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
...तिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

...मती गोमती प्रसाद

...पत्नी श्री छग्गा

... कृषि

...स्थायी हसन पुर खेवली लखनऊ

... पता

...लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 22/11/2006 समय 6:19PM

...बन्धन हेतु पेश किया।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/11/2006

...लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

...ता

...श्रीमती गोमती प्रसाद

...पत्नी श्री छग्गा

...कृषि

...सी हसन पुर खेवली लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती जयचन्द

पुत्र/पत्नी श्री भोला कोरी

पेशा व्यापार

निवासी मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

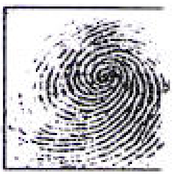

...श्रीमती पूर्णमाशी

...पत्नी श्री छग्गा

...कृषि

...सी हसन पुर खेवली लखनऊ

...श्रीमती हनुमान

...पत्नी श्री रामदास

...कृषि

...सी हसन पुर खेवली लखनऊ

दिनांकित 21.11.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

3. विक्रेतागण को रू0 1,30,601/- द्वारा चेक संख्या- 137187 दिनांकित 21.11.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 2,61,202/- (रूपया दो लाख इकसठ हजार दो सौ दो मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं ।

लखनऊः
दिनांक : 21.11.2006

गवाह :
1.

विक्रेतागण

2.

केता

टाईपकर्ता

(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

...पादन स्वीकार किया ।

... प्रधान श्री सुनी ल कुमार सिन्हा

... टी सी सिन्हा

... व्यापार

... 288आर्यानगर लखनऊ

श्री प्रताप यादव

श्री तिवारी लाल

... व्यापार

... अजुर्न गज लखनऊ

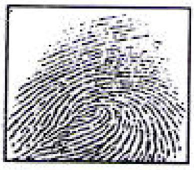

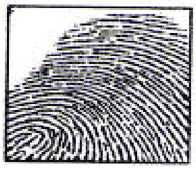

... भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के. शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
22/11/2006

ग्राम हसनपुर खेवली परगना व तहसील - व जिला बाराबंकी

खसरा संख्या - 84, 86

रकबा -

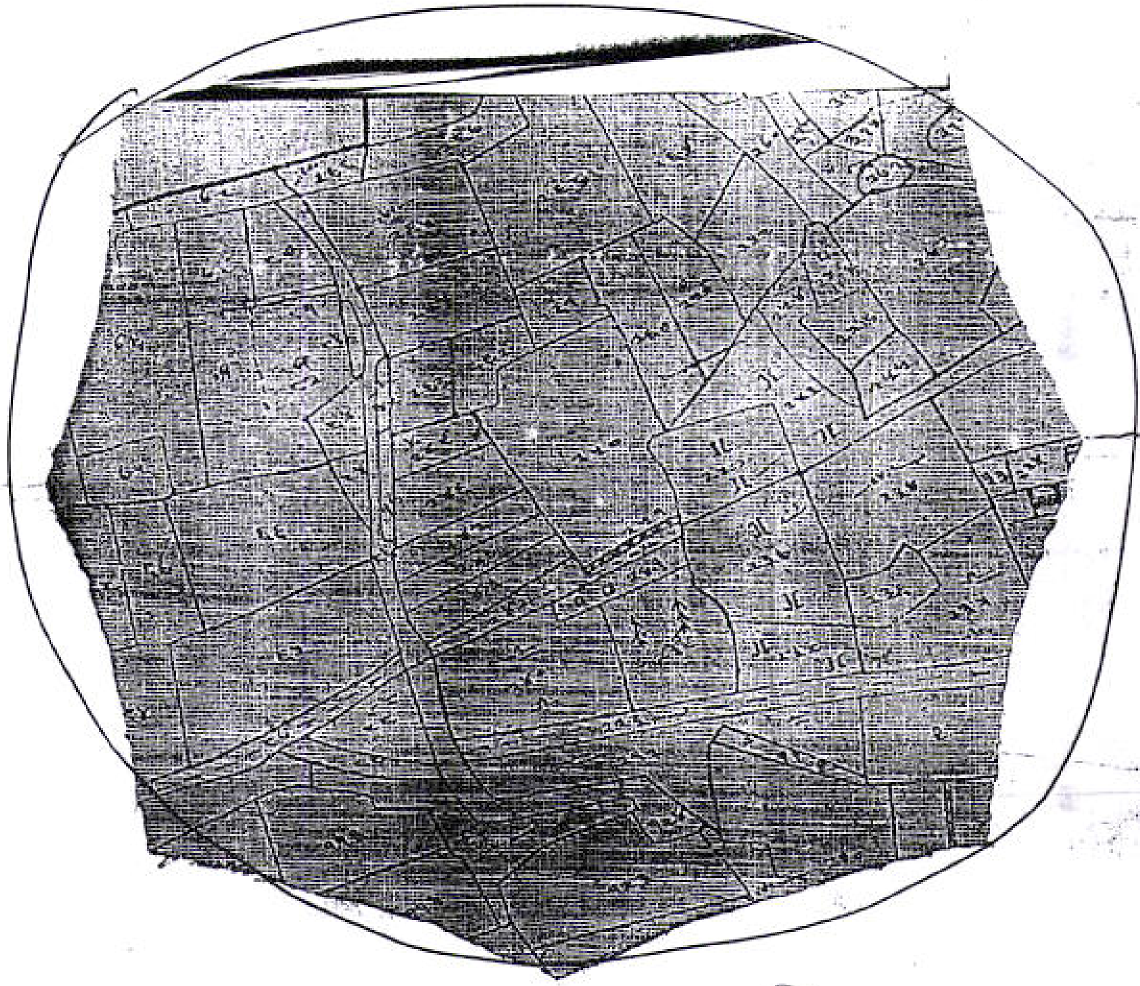

गोमती प्रकाश पुनावासी

हरीराम

विक्रेता

क्रेता

विक्रेता

Registration No 9870 Year : 2006 Book No. 1

1 गोमती प्रसाद

[illegible]

हसन पुर खेवली लखनऊ

कृषि

2 पूर्णमाशी

[illegible]

हसन पुर खेवली लखनऊ

कृषि

03 हनुमान

रामदास

हसन पुर खेवली लखनऊ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- गोमती ग्रा. हसनपुर सेवला अरखौंडे

बांये हांथ की अंगुलियो के चिन्ह :-

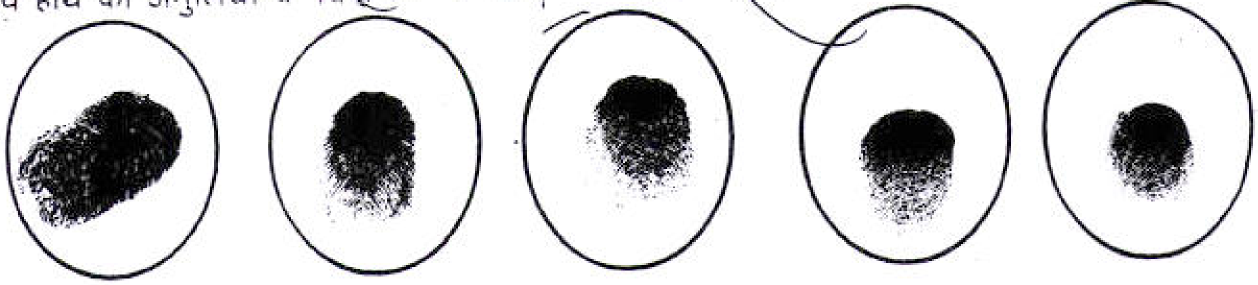

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

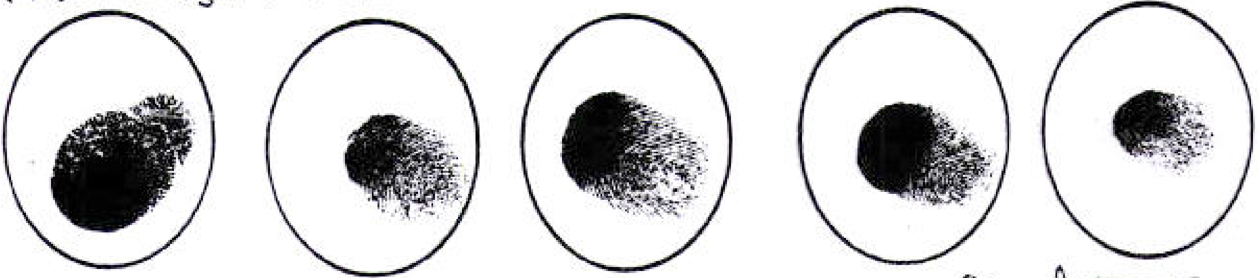

गोमती प्रसाद

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- पुरानमासी ग्रा. हसनपुर रुद्र वर्मा भरखौंडे

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

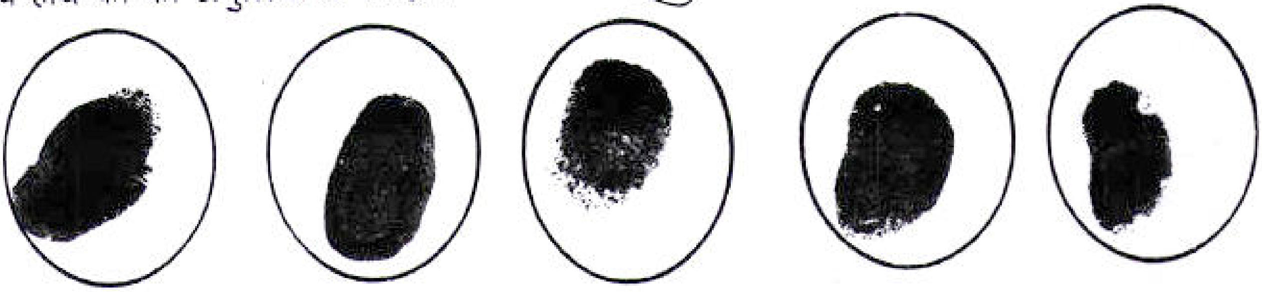

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

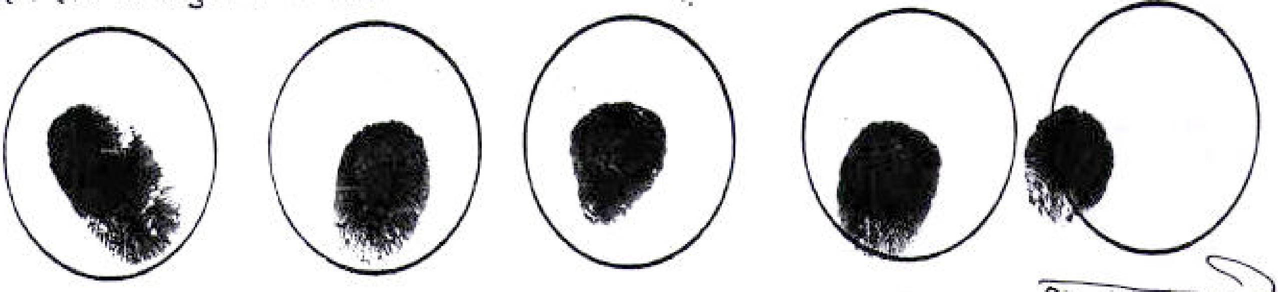

पुनावासी

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 9870 Year : 2006 Book No. 1

1 जयचन्द

[illegible] कोरी

[illegible] बिटारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

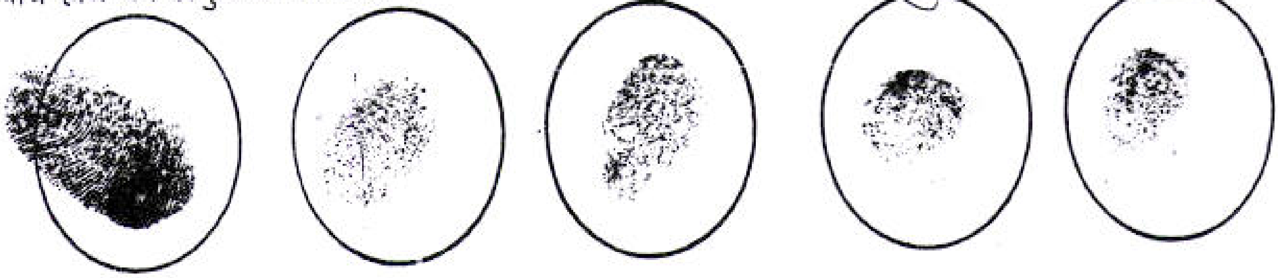

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता [illegible]

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

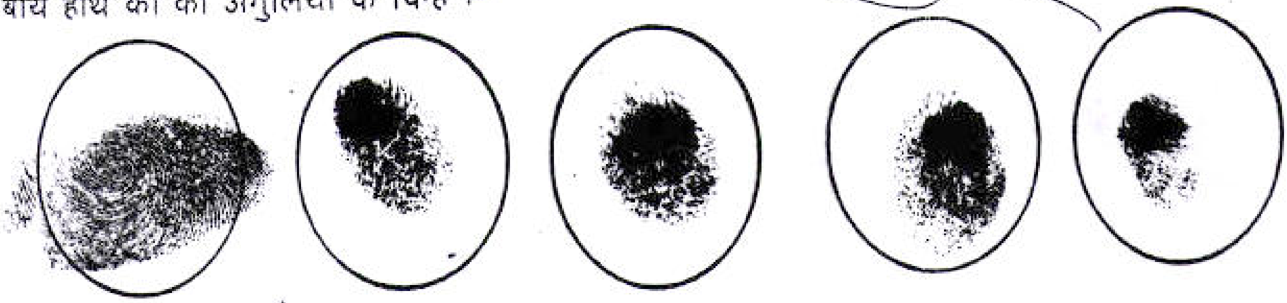

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **22/11/2006** को

वही सं **1** जिल्द सं **7933**

पृष्ट सं. **169** से **190** पर कमांक **9870**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/11/2006